

युवा मामले और खेल मंत्रालय

मांग संख्या 99

युवा मामले और खेल मंत्रालय

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2017-2018 | | | बजट 2018-2019 | | | संशोधित 2018-2019 | | | बजट 2019-2020 | | |
|---|--------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| कुल | 1710.21 | 12.50 | 1722.71 | 2138.31 | 58.04 | 2196.35 | 1981.03 | 21.69 | 2002.72 | 2181.90 | 35.02 | 2216.92 |
| <i>वसूलियां</i> | -33.63 | ... | -33.63 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>प्राप्तियां</i> | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| निवल | 1676.58 | 12.50 | 1689.08 | 2138.31 | 58.04 | 2196.35 | 1981.03 | 21.69 | 2002.72 | 2181.90 | 35.02 | 2216.92 |
| क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है: | | | | | | | | | | | | |
| केंद्र का व्यय | | | | | | | | | | | | |
| केन्द्र का स्थापना व्यय | | | | | | | | | | | | |
| 1. सचिवालय | 25.52 | ... | 25.52 | 31.00 | ... | 31.00 | 30.40 | ... | 30.40 | 33.00 | ... | 33.00 |
| केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं | | | | | | | | | | | | |
| 2. राष्ट्रीय सेवा योजना | 125.74 | ... | 125.74 | 160.00 | ... | 160.00 | 160.00 | ... | 160.00 | 160.00 | ... | 160.00 |
| राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम | | | | | | | | | | | | |
| 3. राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम | 10.52 | ... | 10.52 | 20.00 | ... | 20.00 | 20.00 | ... | 20.00 | 12.00 | ... | 12.00 |
| 4. <i>राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम</i> | | | | | | | | | | | | |
| 4.01 कार्यक्रम घटक | 17.44 | ... | 17.44 | 25.00 | ... | 25.00 | 25.00 | ... | 25.00 | 21.00 | ... | 21.00 |
| 5. राष्ट्रीय युवा कोर | 60.00 | ... | 60.00 | 80.00 | ... | 80.00 | 65.00 | ... | 65.00 | 80.00 | ... | 80.00 |
| 6. अंतरराष्ट्रीय सहयोग | 15.51 | ... | 15.51 | 20.00 | ... | 20.00 | 20.00 | ... | 20.00 | 21.00 | ... | 21.00 |
| 7. राष्ट्रीय अनुशासन स्कीम | 5.00 | ... | 5.00 | 5.00 | ... | 5.00 | 5.00 | ... | 5.00 | ... | ... | ... |
| 8. स्काउटिंग और गाइडिंग | 0.75 | ... | 0.75 | 1.50 | ... | 1.50 | 1.50 | ... | 1.50 | 1.50 | ... | 1.50 |
| 9. युवा छात्रावास | 0.58 | 0.75 | 1.33 | 0.80 | 0.90 | 1.70 | 1.01 | 0.69 | 1.70 | 2.48 | 0.02 | 2.50 |
| जोड़-राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम | 109.80 | 0.75 | 110.55 | 152.30 | 0.90 | 153.20 | 137.51 | 0.69 | 138.20 | 137.98 | 0.02 | 138.00 |
| खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पुरस्कार | | | | | | | | | | | | |
| 10. <i>उत्कृष्ट खेलों को बढ़ावा हेतु सहायता</i> | | | | | | | | | | | | |
| 10.01 राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता | 277.68 | ... | 277.68 | 342.00 | ... | 342.00 | 245.13 | ... | 245.13 | 245.00 | ... | 245.00 |
| 10.02 खेलों में मानव संसाधन विकास योजना | 5.38 | ... | 5.38 | 5.00 | ... | 5.00 | 5.00 | ... | 5.00 | 5.00 | ... | 5.00 |
| <i>जोड़- उत्कृष्ट खेलों को बढ़ावा हेतु सहायता</i> | <i>283.06</i> | <i>...</i> | <i>283.06</i> | <i>347.00</i> | <i>...</i> | <i>347.00</i> | <i>250.13</i> | <i>...</i> | <i>250.13</i> | <i>250.00</i> | <i>...</i> | <i>250.00</i> |
| 11. खिलाड़ियों को प्रोत्साहन | 13.91 | ... | 13.91 | 23.00 | ... | 23.00 | 63.00 | ... | 63.00 | 89.00 | ... | 89.00 |
| 12. राष्ट्रीय खेल विकास कोष | 2.00 | ... | 2.00 | 2.00 | ... | 2.00 | 2.00 | ... | 2.00 | 70.00 | ... | 70.00 |

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2017-2018 | | | बजट 2018-2019 | | | संशोधित 2018-2019 | | | बजट 2019-2020 | | |
|--|--------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| 13. खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष | 0.30 | ... | 0.30 | 2.00 | ... | 2.00 | 1.80 | ... | 1.80 | 2.00 | ... | 2.00 |
| जोड़-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पुरस्कार | 299.27 | ... | 299.27 | 374.00 | ... | 374.00 | 316.93 | ... | 316.93 | 411.00 | ... | 411.00 |
| खेलो इंडिया - खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम | | | | | | | | | | | | |
| 14. खेलो इण्डिया | 346.99 | ... | 346.99 | 520.09 | ... | 520.09 | 500.09 | ... | 500.09 | 500.00 | ... | 500.00 |
| 15. जम्मू और कश्मीर में खेल सुविधाओं में बढ़ोत्तरी | ... | ... | ... | 50.00 | ... | 50.00 | 50.00 | ... | 50.00 | 30.00 | ... | 30.00 |
| 16. कॉमनवेल्थ खेल 2010 - भारतीय खेल प्राधिकरण - स्टेडियम नवीनीकरण | ... | ... | ... | 0.50 | ... | 0.50 | 0.50 | ... | 0.50 | 70.00 | ... | 70.00 |
| 17. राष्ट्रीय शारीरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम - संसाधन केंद्र एलएनयूपीई ग्वालियर | 2.00 | ... | 2.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18. हिमालयी क्षेत्र खेल समारोह | ... | ... | ... | 5.00 | ... | 5.00 | 0.10 | ... | 0.10 | 1.00 | ... | 1.00 |
| जोड़-खेलो इंडिया - खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम | 348.99 | ... | 348.99 | 575.59 | ... | 575.59 | 550.69 | ... | 550.69 | 601.00 | ... | 601.00 |
| जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं | 883.80 | 0.75 | 884.55 | 1261.89 | 0.90 | 1262.79 | 1165.13 | 0.69 | 1165.82 | 1309.98 | 0.02 | 1310.00 |
| केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय | | | | | | | | | | | | |
| स्वायत्त निकाय | | | | | | | | | | | | |
| 19. नेहरू युवा केंद्र संगठन | 215.00 | ... | 215.00 | 255.00 | ... | 255.00 | 270.00 | ... | 270.00 | 256.92 | ... | 256.92 |
| 20. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान | 16.87 | ... | 16.87 | 23.00 | ... | 23.00 | 23.00 | ... | 23.00 | 30.00 | ... | 30.00 |
| 21. भारतीय खेल प्राधिकरण | 495.73 | ... | 495.73 | 429.56 | ... | 429.56 | 395.00 | ... | 395.00 | 450.00 | ... | 450.00 |
| 22. लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान | 44.27 | ... | 44.27 | 45.00 | ... | 45.00 | 45.00 | ... | 45.00 | 50.00 | ... | 50.00 |
| 23. अन्य स्वायत्त निकाय | 28.02 | 11.75 | 39.77 | 91.86 | 57.14 | 149.00 | 51.50 | 21.00 | 72.50 | 51.00 | 35.00 | 86.00 |
| जोड़-स्वायत्त निकाय | 799.89 | 11.75 | 811.64 | 844.42 | 57.14 | 901.56 | 784.50 | 21.00 | 805.50 | 837.92 | 35.00 | 872.92 |
| अन्य | | | | | | | | | | | | |
| 24. विश्व डोप रोधी एजेंसी को अंशदान | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 |
| 25. वास्तविक वसूलियां | -33.63 | ... | -33.63 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| जोड़-अन्य | -32.63 | ... | -32.63 | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 |
| जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय | 767.26 | 11.75 | 779.01 | 845.42 | 57.14 | 902.56 | 785.50 | 21.00 | 806.50 | 838.92 | 35.00 | 873.92 |
| कुल जोड़ | 1676.58 | 12.50 | 1689.08 | 2138.31 | 58.04 | 2196.35 | 1981.03 | 21.69 | 2002.72 | 2181.90 | 35.02 | 2216.92 |
| ख. विकासाल्मकशीर्ष | | | | | | | | | | | | |
| सामाजिक सेवाएं | | | | | | | | | | | | |
| 1. खेल और युवा मामले | 1651.36 | ... | 1651.36 | 1935.15 | ... | 1935.15 | 1787.68 | ... | 1787.68 | 1968.26 | ... | 1968.26 |
| 2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं | 25.22 | ... | 25.22 | 30.00 | ... | 30.00 | 30.00 | ... | 30.00 | 32.00 | ... | 32.00 |
| 3. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय | ... | 12.50 | 12.50 | ... | 2.75 | 2.75 | ... | 1.55 | 1.55 | ... | 10.01 | 10.01 |
| जोड़-सामाजिक सेवाएं | 1676.58 | 12.50 | 1689.08 | 1965.15 | 2.75 | 1967.90 | 1817.68 | 1.55 | 1819.23 | 2000.26 | 10.01 | 2010.27 |
| अन्य | | | | | | | | | | | | |
| 4. पूर्वोत्तर क्षेत्र | ... | ... | ... | 173.16 | ... | 173.16 | 163.35 | ... | 163.35 | 181.64 | ... | 181.64 |
| 5. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय | ... | ... | ... | ... | 55.29 | 55.29 | ... | 20.14 | 20.14 | ... | 25.01 | 25.01 |

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2017-2018 | | | बजट 2018-2019 | | | संशोधित 2018-2019 | | | बजट 2019-2020 | | |
|-----------|--------------------|-------|---------|---------------|-------|---------|-------------------|-------|---------|---------------|-------|---------|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| जोड़-अन्य | ... | ... | ... | 173.16 | 55.29 | 228.45 | 163.35 | 20.14 | 183.49 | 181.64 | 25.01 | 206.65 |
| कुल जोड़ | 1676.58 | 12.50 | 1689.08 | 2138.31 | 58.04 | 2196.35 | 1981.03 | 21.69 | 2002.72 | 2181.90 | 35.02 | 2216.92 |

- सचिवालय:** मंत्रालय के सचिवालय व्यय का प्रावधान है।
- राष्ट्रीय सेवा योजना:** राष्ट्रीय सेवा योजना एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना है जिसका लक्ष्य स्कूलों व कॉलेजों में विद्यार्थी युवाओं के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करना है। एन एस एस का संचालन विश्वविद्यालय/कॉलेज तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्कूल स्तर पर किया जाता है। एन एस एस का लक्ष्य विद्यार्थियों की सामाजिक चेतना को जगाना तथा उन्हें गांवों व मलिन वस्तियों के लोगों के साथ कार्य करने का अवसर उपलब्ध कराना है।
- राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम का लक्ष्य युवाओं को उनके संगत क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने हेतु प्रेरित करना तथा उन्हें विकास प्रक्रिया के अग्रणी स्तर पर लाना है। इसमें राष्ट्र-निर्माण के लिए विशाल युवा ऊर्जा का उपयोग करने की अपेक्षा की गयी है।
- राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम:** यह एक संयुक्त योजना है जो 10वीं योजनावधि के दौरान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की चार 100% केन्द्रीय क्षेत्र सहायता अनुदान प्राप्त योजनाओं नामतः युवा गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण, राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन, साहस का संवर्धन तथा किशोरों का विकास और अधिकारिता को मिलाकर तैयार की गई थी। इसका उद्देश्य एक जैसे उद्देश्यों वाली योजनाओं की संख्या को कम करना, वित्त पोषण तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया में एकरूपता सुनिश्चित करना, फील्ड स्तर पर धन की उपलब्धता में विलम्ब को रोकना तथा परियोजना तैयार करने और इसके कार्यान्वयन में राज्य सरकार की संस्थागत सहभागिता को सुनिश्चित करना है। बेहतर और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तथा निधियों के अधिकतम सकारात्मक उपयोग के लिए भी प्रत्येक घटक के लिए पृथक प्रावधान करने के बजाय समेकित बजट का प्रावधान है। इससे परिचालन प्रक्रिया तथा कार्यक्रम करने में सहक्रियाशीलता और समाभिरूपता होगी। इस योजना की भावना के अनुसार इस कार्यक्रम के लक्षित लाभार्थी युवा और किशोर हैं।
- राष्ट्रीय युवा कोर:** इसे राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना और राष्ट्रीय सदभावना योजना जैसी पूर्व योजनाओं को मिला कर तैयार किया गया है और राष्ट्रीय युवा कॉरपस के नाम से पुकारा जाता है। योजना का लक्ष्य पूर्णकालिक आधार पर विशिष्ट अवधि के लिए राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में युवाओं को स्वैच्छिक आधार पर शामिल करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना है। यह प्रावधान स्वयंसेवकों के स्टार्टअप, बोर्डिंग, लॉजिंग और यात्रा भत्ता के लिए है।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान युवा आदान-प्रदान कार्यक्रमों और संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवकों हेतु अंशदान के लिए है।

8. **स्काउटिंग और गाइडिंग:** यह प्रावधान स्काउट्स और गाइड्स की विभिन्न गतिविधियों जैसे प्रशिक्षण शिविरों, कौशल विकास कार्यक्रमों आदि के लिए वित्तीय सहायता हेतु है।

9. **युवा छात्रावास:** युवा छात्रावास देश के युवाओं की यात्राओं को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। युवा छात्रावासों के निर्माण की परिकल्पना केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में की गई है। केन्द्र सरकार युवा छात्रावासों के निर्माण की लागत वहन करती है। निर्माणाधीन युवा छात्रावासों के व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान किया गया है।

10.01. **राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता:** मंत्रालय मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को विदेश में प्रशिक्षण तथा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने, भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने, राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित करने और खेल उपस्करों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कोचिंग शिविर आयोजित करने, राष्ट्रीय टीम की तैयारी और विदेशी कोचों की सेवाएं लेने के लिए भा.खे.प्रा. के माध्यम से भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

10.02. **खेलों में मानव संसाधन विकास योजना:** देश में खेलकूद के समग्र विकास के लिए खेल विज्ञान और खेल औषधि में मानव संसाधन विकास

11. **खिलाड़ियों को प्रोत्साहन:** स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर और विश्वविद्यालय/कालेज स्तर के खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उच्च उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार दिए जाते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के खिलाड़ियों और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार दिए जाते हैं। ओलंपिक, विश्व कप और विश्व चैम्पियनशिपों के पदक विजेताओं तथा एशियाई, राष्ट्रमंडल और पैरा-ओलंपिक खेलों के पदक विजेताओं को पेंशन दी जाती है। विभिन्न खेल विधाओं में उत्कृष्टता के लिए खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान है। जीवनपर्यंत उपलब्धि के लिए खिलाड़ियों को ध्यांचंद पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान है।

12. **राष्ट्रीय खेल विकास कोष:** सामान्य रूप से खेलों के संवर्धन तथा विशेष रूप से खेलों में उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए यह एक स्थायी निधि है। यह स्कीम सार्वजनिक-निजी-सहभागिता पर आधारित है तथा भारत सरकार अन्य स्रोतों से प्राप्त योगदान की तुलना में समतुल्य योगदान देती है।

13. **खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष:** खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना निर्धन परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे पूर्व प्रतिभावान खिलाड़ियों, जिन्होंने खेलों में देश का गौरव बढ़ाया था।

14. **खेलो इण्डिया:** खेलों इंडिया स्कीम एक अम्रेला योजना है, जिसका उद्देश्य खेल के व्यापक आधार और खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करना है, जो कि देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देगा, जिससे जनसंख्या को इसके लाभों को प्राप्त करने का मौका मिलेगा जो बच्चों और युवाओं का सामुदायिक विकास, लिंग समानता, राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्र निर्माण, स्वस्थ जीवन शैली, राष्ट्रीय गौरव और खेल के विकास से संबंधित समान अवसर प्रदान करता है।

15. **जम्मू और कश्मीर में खेल सुविधाओं में बढ़ोत्तरी:** यह स्कीम शान्ति तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। जम्मू एवं कश्मीर में खेल अवसंरचनाओं तथा खेल सुविधाओं को अपग्रेड तथा विकसित किया जाएगा।

19. **नेहरू युवा केंद्र संगठन:** मंत्रालय के अधीन नेहरू युवा केन्द्र संगठन एक स्वायत्त निकाय जमीनी वास्तविकता से जुड़ा हुआ विशालतम गैर-सरकारी संगठन है जो 1.70 लाख समुदाय आधारित युवा क्लबों के माध्यम से नामित किए गए 15-29 आयु समूह के 36.53 लाख से अधिक गैर-विद्यार्थी ग्रामीण युवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह गैर-विद्यार्थी ग्रामीण युवाओं के क्षेत्र में प्रमुख प्रेरणादायक व विकास गतिविधियों के लिए सरकारी कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करता है। नेहरू युवा केंद्र संगठन के अब 29 राज्य कार्यालय हैं जो देश के 623 जिलों में कार्य कर रहे हैं।

20. **राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान:** इसकी स्थापना 1983 में श्रीपेरम्बुदूर (तमिलनाडु) में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत स्वायत्तशासी निकाय के रूप में की गई थी और यह सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। यह देश में युवाओं से संबंधित प्रशिक्षण, प्रलेखन, अनुसंधान तथा मूल्यांकन और सभी गतिविधियों के विस्तार के लिए जिम्मेदार है। संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के केन्द्र के रूप में मंजूरी मिल चुकी है।

21. **भारतीय खेल प्राधिकरण:** भारत सरकार ने 1984 में भा.खे.प्रा. की स्थापना की थी जिसके दो लक्ष्य विभिन्न आयु-समूहों के बच्चों में से प्रतिभाशाली बच्चों का पता लगाने और उन्हें उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु अपेक्षित अवसंरचना तथा सहायक उपकरण, कोचिंग तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। भा.खे.प्रा. दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों के दौरान निर्मित/नवीनीकृत किए गए स्टेडियमों के रखरखाव और उपयोग के लिए भी जिम्मेदार है।

22. **लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान:** लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, 1957 में ग्वालियर में स्थापित किया गया था और इसे 1995 में समकक्ष विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। संस्थान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्तशासी संगठन है जो पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

23. **अन्य स्वायत्त निकाय:** अन्य स्वायत्त निकायों में निम्न हैं राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय खेल कोचिंग केंद्र और पूर्वोत्तर में खेल विश्वविद्यालय हैं।

24. **विश्व डोप रोधी एजेंसी को अंशदान:** यह अंतरराष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी के लिए अंशदान है।